



F.32(21)/NHM/CSR/Telemedicine/Part-7/568

Date 17/03/2021

अति-आवश्यक

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
जिला / उपखण्ड / सैटेलाईट चिकित्सालय,  
सम्बंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी  
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (ई-संजीवनी हब)  
राजस्थान।

विषय:- ई-संजीवनी सेवा के अन्तर्गत हब साइट्स पर चिकित्सकों की उपलब्धता  
सुनिश्चित करने बाबत।

सन्दर्भ:- पत्र क्रमांक 554 दिनांक 09/03/2021.

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा ई-संजीवनी सेवा के अन्तर्गत चिकित्सालय की हब साइट पर पंजीकृत चिकित्सकों का **Duty-Roster** बनाया जाना था एवं ई-संजीवनी सेवा के सूचारु संचालन हेतु उनकी उपलब्धता हब साइट पर सुनिश्चित की जानी थी। जिसके सम्बन्ध में आपको बार-बार निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु प्रगति की समीक्षा करने पर पाया गया है कि केवल 10-15 चिकित्सक ही हब साइट पर अपनी ऑनलाईन टेली-कंसल्टेशन (परामर्श) सेवायें दे रहे हैं।

अतः आप ई-संजीवनी सेवा को गम्भीरता से लेते हुये इसके सूचारु संचालन एवं ऑनलाईन टेली-कंसल्टेशन (परामर्श) हेतु सम्बंधित चिकित्सकों को आदेशित करें ताकि अधिकाधिक मरीजों को लाभान्वित किया जा सके।

सलंगन:- पंजीकृत चिकित्सकों की सूची, प्रगति चिकित्सक-वार प्रगति।

(डॉ. लक्ष्मण सिंह ओला)  
निदेशक, (आरसीएच)

प्रतिलिपि निम्नार्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम एवं विशिष्ट शासन सचिव, चि0स्वा0प0क0।
2. निजी सहायक, निदेशक, जन-स्वास्थ्य/आरसीएच।
3. निजी सहायक, विशेषाधिकारी, एनएचएम।
4. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एनएचएम
5. राज्य नोडल अधिकारी, आशा/एचडब्ल्यू/आरबीएसके/एनयूएचएम/एनसीडी
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख हे कि समस्त एएनएम, आशा एवं आयुष चिकित्सकों के द्वारा ई-संजीवनी मोबाईल एप के माध्यम से प्रतिदिन एक मरीज का टेली-कंसल्टेशन कराना सुनिश्चित करावें।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/शहरी कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला नोडल अधिकारी/जिला आशा समन्वयक एनएचएम।

(डॉ. राजेन्द्र कुमार शर्मा)  
राज्य नोडल अधिकारी-आईटी



Government of Rajasthan  
National Health Mission, Rajasthan  
Department of Medical, Health & FW, Swasthya Bhawan, Jaipur  
Tel. No. 0141-2221590, Email ID: md-nrhm-rj@nic.in

F.32(21)/NHM/CSR/Telemedicine/Part-7/554

Date: 09/03/2021

अति-आवश्यक

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
राजस्थान

विषय:- ई-संजीवनी सेवा (राष्ट्रीय टेली-कंसल्टेशन प्लेटफार्म) के अधिकाधिक उपयोग बाबत।  
सन्दर्भ:- पत्र क्रमांक 527 दिनांक 23/02/2021 |

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको पुनः सूचित किया जाता है कि राज्य में ई-संजीवनी टेली-कंसल्टेशन सेवा का शुभारंभ माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 04/05/2020 को किया गया था। ई-संजीवनी टेली-कंसल्टेशन मोबाइल एप को गूगल प्लेस्टोर (Google Playstore) से डाउनलोड एवं इंस्टॉल किया जा सकता है। ई-संजीवनी सेवा के माध्यम से अब तक कुल 8040 टेली-कंसल्टेशन मरीजों को लाभान्वित किया जा चुका है।

उक्त ई-संजीवनी सेवा के उपयोग के क्रम में श्रीमान् शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार एएनएम द्वारा एक टेली-कंसल्टेशन प्रति सप्ताह करवाया जाना है। अतः आप को निर्देशित किया जाता है कि सम्बंधित को आदेशित कर एएनएम द्वारा कम से कम एक टेली-कंसल्टेशन प्रति सप्ताह करवाया जाना सुनिश्चित करावे, जिससे अधिकाधिक मरीजों को लाभान्वित किया जा सके

अधिक जानकारी हेतु लिंक <http://www.rajswasthya.nic.in/telecons.htm>,  
<https://esanjeevaniopd.in> एवं पंजीकरण हेतु वीडियो लिंक  
<https://www.youtube.com/watch?v=HV9vXJVt8jk> पर क्लिक करे

(डॉ. लक्ष्मण सिंह ओला)  
निदेशक, (आरसीएच)

प्रतिलिपि निम्नार्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम एवं विशिष्ट शासन सचिव,
3. निजी सहायक निदेशक, जन स्वास्थ्य/ आरसीएच।
4. राज्य नोडल अधिकारी (एच डब्लू सी)

निदेशक, (आरसीएच)



ई-संजीवनी सेवा (राष्ट्रीय टेली-कंसल्टेशन प्लेटफार्म),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार  
प्रत्येक सोमवार से शनिवार  
समय प्रातः 9 AM से दोपहर 3 PM तक



1. एएनएम / मरीज अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल प्ले-स्टोर से ई-संजीवनी ओपीडी टेली-कंसल्टेशन मोबाइल ऐप डाउनलोड एवं इंस्टॉल करें।
2. एएनएम / मरीज अपने मोबाइल नंबर को OTP के माध्यम से सत्यापित (Verify) करें।
3. एएनएम अपने मोबाइल फ़ोन में **Patient Profile Option** में जाकर **Add/ Edit Member** के माध्यम से मरीज की सूचना **Relation type – Institution** में जोड़ें अथवा मरीज अपने मोबाइल फ़ोन में **Patient Profile Option** में जाकर **Add/ Edit Member** के माध्यम से मरीज अपनी एवं परिवार के सदस्यों की सूचना **Relation type – Self/ Wife/ Son/ Daughter** में जोड़ें।
4. एएनएम / मरीज **Patient Registration/ Generate Token Option** में जाकर राजस्थान राज्य का चयन करें एवं General OPD अथवा Speciality OPD का चयन करें।
5. एएनएम / मरीज सम्बंधित मरीज का चयन करें एवं **Upload Health Record Option** के माध्यम से मरीज के हेल्थ रिकॉर्ड अपलोड करे (यदि हेल्थ रिकॉर्ड उपलब्ध हो तो)।
6. अब **Generate Token Option** पर क्लिक करें। एएनएम / मरीज के मोबाइल फ़ोन पर एक टोकन नंबर आयेगा जिसके द्वारा लॉगिन किया जाएगा।
7. एएनएम / मरीज **Patient Login Option** में जाकर सत्यापित मोबाइल नंबर एवं टोकन नंबर के माध्यम से लॉगिन करें।
8. अब आप कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें, जैसे ही कॉल नाउ (Call Now) प्रदर्शित होता है उस पर क्लिक करें एवं प्रतीक्षा करें। ऑनलाइन उपलब्ध चिकित्सक के साथ आपका वीडियो कॉल शुरू हो जाएगा जो आपको ऑनलाइन परामर्श देंगे।
9. चिकित्सक आपके द्वारा अपलोड किये गए मरीज के हेल्थ रिकॉर्ड को देखकर एवं आपसे जानकारी लेंगे एवं ऑनलाइन परामर्श देंगे।
10. चिकित्सक से परामर्श लेवे एवं मरीज का E- Prescription प्राप्त करें।
11. एएनएम / मरीज **Patient Profile Option** में जाकर **Download Prescription Option** के माध्यम सम्बंधित मरीज का E- Prescription डाउनलोड करे।

अधिक जानकारी हेतु लिंक <http://www.rajswasthya.nic.in/telecons.htm>  
<https://esanjeevaniopd.in> एवं पंजीकरण हेतु वीडियो लिंक  
<https://www.youtube.com/watch?v=HV9vXJVt8jk> पर क्लिक करे